

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 24, सोमवार, शके 1947- दिसम्बर 15, 2025 Agrahayana 24, Monday, Saka 1947- December 15, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 10, 2025

संख्या:10/भू.अ./ज.स./2018/1580-1584:-चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ कनवाड़ा लघु सिंचाई परियोजना के लिए 75 प्रतिशत एफ.टी.एल. लाईन से 100 प्रतिशत एफ.टी.एल. लाईन के मध्य स्थित भूमि को अवाप्ति किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में सलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, झालावाड़ को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी जल संसाधन वृत्त, झालावाड़ होंगे।

--:विवरण:-

कनवाड़ा लघु सिंचाई परियोजना के लिए 75 प्रतिशत एफ.टी.एल. लाईन से 100 प्रतिशत एफ.टी.एल. लाईन के मध्य स्थित भूमि के मुआवजा वितरण हेतु कार्य क्षेत्र ग्राम रातीतलाई, नलखाडी, गडारी एवं ढाबली तहसील झालरापाटन एवं गडारा, सामिया, ढाबला तहसील, सुनेल जिला झालावाड़ की 120 हैक्टर भूमि में अवाप्ति की जाने वाली भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 4(1) की कार्यवाही बाबत प्रस्ताव जिला झालावाड़।

क्र० सं०	परियोजना का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत	तहसील	जिला	भूमि अवाप्ति अधिकारी

1	कनवाड़ा लघु सिंचाई	रातीतलाई, नलखाडी, गडारी, ढाबली	बावड़ीखेड़ा	झालरापाटन	झालावाड	भूमि अवाप्ति अधिकारी झालावाड
2	परियोजना	गडारा, ढाबला	कनवाड़ी	सुनेल		
3		सामिया	गादिया			

फार्म-2

(देखें-नियम-5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

(क)	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, झालावाड़।
(ख)	प्रस्तावित योजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र।	कनवाड़ा लघु सिंचाई परियोजना के लिए 75 प्रतिशत एफ.टी.एल. लाईन से 100 प्रतिशत एफ.टी.एल. लाईन के मध्य स्थित भूमि के मुआवजा वितरण हेतु कार्य क्षेत्र ग्राम रातीतलाई, नलखाडी, गडारी एवं ढाबली तहसील झालरापाटन एवं गडारा, सामिया, ढाबला तहसील, सुनेल जिला झालावाड़ है। इस योजना के अन्तर्गत कुल भूमि 120 हैक्टर भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है।
(ग)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई / सुनवाईयां भी दें।	(i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई
(घ)	यदि ग्राम सभा और (भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2 (1) के अन्तर्गत लागू नहीं है।
(ङ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार

	निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे।	
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी।	अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, झालावाड़।

मुकेश कुमार गुप्ता,
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।